iProbono INDIA

सुरक्षा, सहायता और समाधान

घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए एक मार्गदर्शिका

लेखक: प्रिया वाटवाणी , वरिष्ठ प्रोग्राम ऑफ़िसर और अमला शेज़वाड़कर , प्रोग्राम ऑफ़िसर
संपादकीय सहायता: सुप्रिया रॉयचौधरी, अनुसंधान और मूल्यांकन निदेशक, श्रुतिका पांडे, प्रोग्राम ऑफ़िसर और ऋचा ओबेरॉय, वरिष्ठ एडवोकेसी ऑफ़िसर

डिज़ाइन: ऋचा ओबेरॉय

हमारे सभी प्रोग्राम की जानकारी के लिए, कृपया www.i-probono.in पर जाएँ।

किसी भी प्रश्न या प्रतिपुष्टि के लिए, कृपया संपर्क करें: communications@i-probono.com

---

अस्वीकरण

यह दस्तावेज़ उचित कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है और इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करनाहै। इस मार्गदर्शिका के लिए 2023 में शोध किया गया था और इस समय अवधि के प्रभावित सांख्यिकी और नियामक ढांचे का प्रतिक्रिया देता है।

यह मार्गदर्शिका पीड़ित व्यक्ति को सामान्य प्रवृत्तियों और मामलों के साथ संरेखित करने के लिए सर्वनाम "वह" और अपराधी को "वह" के रूप में संदर्भित करती है। हालाँकि, इन शब्दों का उद्देश्य अन्य लिंगों के व्यक्तियों पर लागू होने वाले प्रभाव को बाहर करना या सीमित करना नहीं है।

तस्वीरों को सिर्फ प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। iProbono टीम द्वारा क्लिक की गई सभी तस्वीरों के लिए सहमति ली गई थी।

यह गाइड एवम् मार्गदर्शिका घरेलू हिंसा के गंभीर मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए एक ज़रूरी संसाधन और संवेदीकरण उपकरण का काम करता है। इसे घरेलू हिंसा से जुड़ी मुश्किल कानूनी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे वे घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के साथ काम करने वाले सामुदायिक नेताओं (कम्युनिटी लीडर्स) और नागरिक समाज संगठनों के लिए आसान हो सकें।

इसमें आपको साफ़ और स्पष्ट भाषा में इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के बारे में बताया जायेगा। यहां अलग अलग किसम के दुरुपयोग की परिभाषाएं, उल्लेखनीय विशेषताएं और निर्धारित अदालत की प्रक्रियाएं, उनसे संबंधित कानून के साथ दी गयी हैं। यह मौजूदा सहायता और आपातकालीन समर्थन के रास्तों और पीड़ितों के लिए उपलब्ध राहतों की जानकारी भी प्रदान करता है।इसमें हर कदम को सरलता से समझाया गया है कि हमारा कानून कैसे दुर्व्यवहार से पीड़ित लोगों की सहायता कर सकता है।

विषयसूची

I. घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा 3

II. घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून की मुख्य विशेषताएं 8

III. घरेलू हिंसा शिकायत के चरण 10

- चरण 1: अधिकारियों से संपर्क करें और शिकायत करें 12
- चरण 2: डीआईआर तैयार करना और आवेदन प्रस्तुत करना 13
- चरण 3: न्यायालय में प्रक्रिया 19
- चरण 4: आदेश और राहतें 21

IV. iProbono इंडिया के बारे में 22

V. अनुबंध 27

1. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
2. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006

I. घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा

भारतीय कानूनी ढांचे में 2006 तक घरेलू हिंसा को परिभाषा या मान्यता नहीं दी गई थी। ऐसा तब संभव हुआ जब घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (इसके बाद PWDV अधिनियम) और घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 (इसके बाद PWDV नियम[1]) में बनाये गए। यह कानून उन लोगों की मदद करते है जिनके साथ किसी भी तरह की घरेलु हिंसा हुई है, ताकि उन्हें तत्काल सहायता, सुरक्षा और राहत मिल सके।

PWDV अधिनियम के तहत घरेलु हिंसा [2] एक अपराधी द्वारा किये गए वह सब कार्य, चूक या आचरण है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक भलाई को नुकसान पहुंचता है। इसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण शामिल है। नीचे दिए गए सारे कार्य इस अधिनियम के दायरे में आते हैं:

(i) स्वास्थ्य या खुशहाली को नुकसान पहुंचाना या खतरे में डालना: ऐसे कार्य जो पीड़ित व्यक्ति की भलाई, सुरक्षा, जीवन, अंग या समग्र स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं या खतरे में डालते हैं। इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण के साथ-साथ आर्थिक शोषण भी शामिल है।

(ii) दहेज या संपत्ति के लिए ज़बरदस्ती: पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार पर दहेज, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने का इरादा। ऐसे इरादों से किया गया उत्पीड़न, हानि, चोट या ख़तरा भी इस श्रेणी में आते हैं।

(iii) धमकी भरा व्यवहार: ऐसे कार्य जिनमें ऊपर बताए गए व्यवहार के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को धमकी देना शामिल है।

(iv) नुकसान: अपराधी द्वारा कोई और कार्य या आचरण जिससे पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक नुकसान होता है।

दहेज

जब एक व्यक्ति, या उसके माता-पिता, शादी से पहले, उसके दौरान या उसके बाद, दूसरे व्यक्ति या उसके माता-पिता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएँ देते हैं, उसे दहेज कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए मेहर या महर शामिल नहीं है।

[1] अनुलग्नक 1 और 2 क्रमश:
[2] PWDV अधिनियम की धारा 3

शोषण के प्रकार

शारीरिक हिंसा के अलावा शोषण के कई और तरीके भी हैं। शोषण को पहचानने में यह समझना ज़रूरी है कि नियंत्रण किसके पास है, चालाकी के तरीकों पर ध्यान देना और यह समझना कि ये क्रियाएं किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें भावनात्मक तौर पर फ़ायदा उठाना, मौखिक धमकियाँ, आर्थिक नियंत्रण और सामाजिक अलगाव शामिल हैं। यह सभी PWDV अधिनियम के तहत आते हैं।

शारीरिक शोषण [3] का मतलब उन कार्यों या आचरण से है जो किसी व्यक्ति के शरीर या जीवन को दर्द, चोट, हानि या खतरा पहुंचाते हैं या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को खराब करते हैं। इसमें हमला, आपराधिक धमकी और आपराधिक बल शामिल है। नीचे दी गयी हरकतें शारीरिक शोषण हैं:

- मार पीट करना, थप्पड़ मारना, काटना, गला घोंटना, मुक्का मारना, लात मारना, धक्का देना, धकेलना
- किसी व्यक्ति को उसके घर से जबरन निकालना
- शारीरिक दर्द पहुंचाने के लिए औजारों या हथियारों का उपयोग
- अन्य कार्य जिनसे चोट या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

यौन शोषण [4] यौन प्रकृति का ऐसा कोई भी ऐसा अनुचित व्यवहार जो किसी महिला को नुकसान पहुंचाता है, शर्मिंदा करता है या उसका अनादर करता है। इसमें किसी महिला को मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करना, उसकी गरिमा का अनादर करना या उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करना शामिल है। नीचे दिया गया अनुचित व्यवहार यौन शोषण हैं:

- जबरन संभोग
- अश्लील वीडियो या कोई और अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना
- दूसरों का मनोरंजन करने के लिए पीड़ित व्यक्ति का जबरन इस्तेमाल करना
- यौन प्रकृति का कोई और कार्य, गाली देना, अपमानित करना, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुचाये

संकेत: शारीरिक शोषण के कुछ रूप देखने से पहचाने जा सकते हैं, जैसे :

- घाव, अनुपचारित या गंभीरता से भरी चोटें जो उपेक्षा के कारण होती हैं, और मामूली चोटें जैसे कि गांध, चकत्ते, और हड्डियों के टूटने जैसी चोटें
- शरीर के कई हिस्सों में चोट लगना, बार-बार चोट लगना, लम्बे समय तक चोट का रहना और दर्द सहना
- कुछ मामलों में, शारीरिक शोषण की वजह से यौन संचारित रोग (एसटीडी) हो सकते हैं, या यौन अंगों और गुदा को नुकसान हो सकता है, जो शारीरिक और यौन शोषण दोनों का संकेत देता है।

[3] PWDV अधिनियम की धारा 3(i)
[4] PWDV अधिनियम की धारा 3(ii)

पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना

पति द्वारा अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरन यौन संबंध बनाना घरेलू हिंसा का एक रूप माना जाता है। यौन प्रकृति का कोई भी बर्ताव जो किसी महिला का अपमान करता है, या उसे नीचा दिखाता है, या उसकी गरिमा का उल्लंघन करता है - कानून के खिलाफ है।

मौखिक और भावनात्मक शोषण [5] नीचे दी गयी गतिविधियों में मौखिक या भावनात्मक शोषण शामिल है:

- अपमान, उपहास, निरादर और अपमानजनक नामों से पुकारना
- विशेष रूप से बच्चा न होने या बेटा न होने के संबंध में अपमान या उपहास
- पीड़ित व्यक्ति के रिश्तेदारों/प्रियजनों को बार-बार नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देना

संकेत: मौखिक और भावनात्मक शोषण की पहचान करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि किसी का व्यवहार दूसरों की भावनाओं और हित को कैसे प्रभावित करता है। पीड़ित व्यक्ति के प्रति इस शोषण के कुछ संकेत निम्न परिस्थितियों में देखे जा सकते हैं

- बुरे चरित्र या आचरण का आरोप लगाना
- दहेज न लाने पर अपमानित करना
- बेटा न होने या बच्चा न होने पर अपमानित करना
- स्कूल/कॉलेज/किसी और शैक्षणिक संस्थान में जाने से रोका जाना
- नौकरी करने से रोका जाना
- घर से निकलने पर पाबंदियों का सामना करना
- किसी विशेष व्यक्ति से मिलने पर रोक लगाना
- मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर करना
- अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोका जाना

[5] PWDV अधिनियम की धारा 3(iii)

आर्थिक शोषण [6] अर्थात किसी व्यक्ति की आर्थिक संसाधनों को हासिल करने, उपयोग करने और बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रित करना। नीचे दी गयी गतिविधियाँ आर्थिक शोषण के अंतर्गत आती हैं:

- पीड़ित व्यक्ति की किसी भी ऐसी वित्तीय सहायता या संसाधन को रोक देना जिसपर उसका अधिकार है, चाहे वह कानून, रीति-रिवाज, अदालती आदेश या अन्य आवश्यकता द्वारा निर्धारित हो।। इसमें पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए आवश्यक चीजें, स्त्रीधन, संयुक्त या अलग स्वामित्व वाली संपत्ति, साझा घर का किराया और रखरखाव शामिल हैं।
- ऐसी कोई भी संपत्ति जिसमें पीड़ित व्यक्ति का घरेलू संबंध के कारण हिस्सा/हित है, उसे पीड़ित व्यक्ति की इजाजत या अधिकार के बिना बेचना या ट्रांसफर करना, चाहे वह संपत्ति चल हो या अचल, कीमती सामान, शेयर, प्रतिभूतियां, बॉन्ड या कुछ और हो। इसमें पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें, स्त्रीधन और संयुक्त रूप से या अलग से रखी गई संपत्ति भी शामिल हैं।
- घरेलू संबंधों के आधार पर जिन संसाधनों या सुविधाओं का इसतेमाल करने का हक़ पीड़ित व्यक्ति को है, ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक पहुंचने से उसे रोकना, जिस में साझा घर भी शामिल है।

स्त्रीधन

स्त्रीधन वह संपत्ति है जो एक महिला को उसकी शादी के दौरान मिलती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, इसमें संपत्ति, धन, आभूषण या अन्य उपहार शामिल हैं जो किसी महिला को विवाह से पहले, विवाह के समय, बच्चे के जन्म के दौरान और विधवा होने पर अपने या अपने पति के परिवार से प्राप्त होते हैं। दहेज से इसका अंतर इसकी स्वैच्छिक प्रकृति में निहित है: यह एक ऐसा उपहार है जो विवाह से पहले या बाद में बिना किसी दबाव के महिला को दिया जाता है। महिलाओं का अपने स्त्रीधन पर पूरा स्वामित्व होता है। [7]

[6] PWDV अधिनियम की धारा 3(iv)
[7] झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की "अपने कानून को जानें: स्त्रीधन" पुस्तिका।
https://jhalsa.org/Jhalsa_Booklets_Web/2018/17112018/streedhan_pamphlet.pdf

संकेत: आर्थिक दुर्व्यवहार के कुछ संकेत तब होते हैं जब पीड़ित व्यक्ति को:

- भोजन, कपड़े, या दवा जैसी आवश्यकताओं सहित अपने या अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं
- उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है या जिस घर में वे रहते हैं उसके किसी भी हिस्से तक पहुंचने या उपयोग से इनकार किया जा रहा है
- अपना रोजगार जारी रखने से रोका या बाधित किया जा रहा है या रोजगार लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है
- कपड़े या सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं का उपयोग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है

इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ अपराधी किराए के घर का किराया या बिल नहीं देता है, या पीड़ित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसकी सहमति के बिना स्त्रीधन या कोई और कीमती सामान बेचता है या गिरवी रखता है, या दहेज की मांग करता है।

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
घरेलू हिंसा में सिर्फ वह हिंसा शामिल है जो घर की चारदीवारी के अंदर होती है।	घरेलू हिंसा का दायरा घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है। घरेलू हिंसा कहीं भी हो सकती है।

आंकड़े [8]

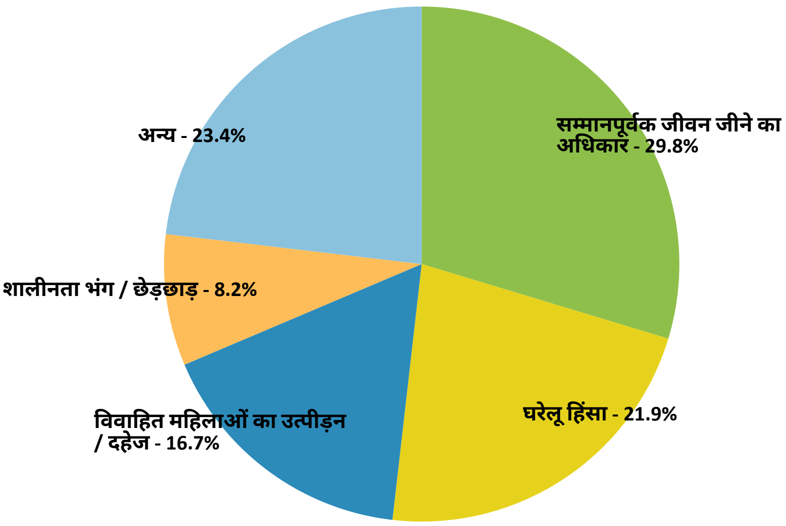

शिकायतों के आंकड़ों का प्रकृति अनुसार प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 2023 में महिलाओं के खिलाफ किये गए अपराधों की 28,811 शिकायतें दर्ज कीं। सबसे ज्यादा शिकायतें यानी 8,579 गरिमा के अधिकार श्रेणी (राइट टू डिग्निटी) में प्राप्त हुईं। इसके बाद घरेलू हिंसा की शिकायतें 6,305 रहीं, विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न की शिकायतें 4,820 और छेड़छाड़ की शिकायतें 2,356 थीं। बाकी शिकायतें महिलाओं के खिलाफ पुलिस की उदासीनता, बलात्कार/बलात्कार का प्रयास, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर थीं।

[8] https://ncwapps.nic.in/frmComp_stat_Overview.aspx

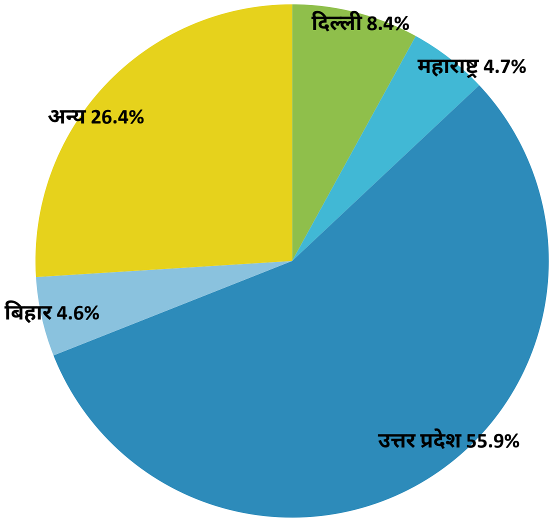

आंकड़ों से पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दिल्ली दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 16,109 शिकायतें दर्ज की गईं, दिल्ली में 2,411, महाराष्ट्र में 1,343 और बिहार में 1,312 शिकायतें दर्ज की गईं।

शिकायतों के आंकड़ों का राज्यों के अनुसार वर्णन

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
घरेलू हिंसा केवल निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में होती है, और इसका शिक्षा से सीधा संबंध है।	घरेलू हिंसा सभी प्रकार के परिवारों में हो सकती है और यह किसी विशेष सामाजिक-आर्थिक वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

III. घरेलु हिंसा अधिनियम की कुछ ज़रूरी विशेषताएं:

PWDV अधिनियम पीड़ित व्यक्ति को विभिन्न अधिकार और उपाय प्रदान करता है, साथ ही यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न व्यक्ति और संस्थाएँ मदद की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकते हैं। इस अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:

1. घरेलु हिंसा के खिलाफ शिकायत कौन कर सकता है?

(i) जिसे हिंसा की जानकारी हो: ज़रूरी नहीं है कि जो शिकायत कर रहा है, उसी के साथ घरेलु हिंसा हुई हो। कोई भी इंसान चाहे वह एक दोस्त, रिश्तेदार, या जानकार हो, जिसे पता है कि हिंसा हुई है, शिकायत दर्ज कर सकता है।

(ii) पीड़ित व्यक्ति: कोई भी महिला जो अभी या फिर पहले कभी भी अपराधी के साथ एक घरेलु बंधन में थी या घरेलु सम्बन्ध रखती थीं और दावा करती हैं कि उनके साथ उस व्यक्ति ने घरेलु हिंसा की है। जैसे की पति, पार्टनर, माँ, बेटी, बहन, सास, बहू या कोई भी और महिला जिसने आरोपी के साथ एक घरेलु रिश्ता रखा हो या एक सांझे घर में रही हों।

एक बच्चे द्वारा शिकायत

एक बच्चा (18 साल से कम उम्र का व्यक्ति) भी घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत राहत का हकदार है और शिकायत कर सकता है। एक माँ भी अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे की ओर से शिकायत कर सकती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की ।

2. शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है?

शिकायत ऐसे किसी भी इंसान के खिलाफ की जा सकती है जिसके साथ अभी या पहले कभी भी, शिकायत करने वाले का एक घरेलु रिश्ता रहा हो। यह सिर्फ पति तक सीमित ना होकर, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है जिसके साथ एक महिला का शादी जैसा एक रिश्ता रहा हो। पीड़ित व्यक्ति अपने पति के किसी भी रिश्तेदार (चाहे वह पुरुष हो या महिला) के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, जिसके साथ उन्होंने एक घरेलु रिश्ता रखा हो।

3. घरेलु सम्बन्ध या रिश्ता क्या है?

घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत, 'घरेलु सम्बन्ध' या रिश्ते, में वे सारे रिश्ते शामिल हैं जो दो व्यक्तियों के होते हैं जब वह साथ रहते हैं, या अगर वह कभी भी एक सांझे घर में साथ रहे हों। यह रिश्ते खून, शादी, या शादी जैसे रिश्ते (जैसे कि लिव-इन या फिर गोद लेने से बने हुए रिश्ते हो सकते हैं।) संयुक्त परिवार (यानी जॉइंट फैमिली) में रहने वाले सदस्य भी इन रिश्तों के सदस्य माने जाते हैं।

4. एक सांझी गृहस्ती क्या हैं ?

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (PWDV Act) के अनुसार, साझा आवास उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पीड़ित व्यक्ति घरेलू संबंध में रहते हैं या रह चुके हैं, चाहे अकेले या उत्तरदायी व्यक्ति (Perpetrator) के साथ। इसमें वह घर शामिल है जो पीड़ित व्यक्ति और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा या किराए पर लिया गया हो, या जो किसी एक के स्वामित्व या किराए पर हो, या जहाँ दोनों में से किसी एक का कोई अधिकार या हित हो। इस परिभाषा में वह आवास भी शामिल है जो उत्तरदायी व्यक्ति के संयुक्त परिवार के स्वामित्व में हो, भले ही उसमें पीड़ित व्यक्ति या उत्तरदायी व्यक्ति का कोई विशेष अधिकार या स्वामित्व न हो।

लिव-इन रिलेशनशिप:

इन्द्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश तय किए कि कब एक लिव-इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (PWDV Act) के तहत "विवाह की प्रकृति जैसा संबंध" माना जा सकता है। इन दिशानिर्देशों में कुछ शर्तें शामिल हैं, जैसे:

(1) रिश्ते और साझी गृहस्थी की अवधि
(2) संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं का सम्मिलन, जैसे वित्तीय सहायता, संयुक्त बैंक खाते और साझा संपत्ति का स्वामित्व
(3) घरेलू व्यवस्था, जिसमें जिम्मेदारी भाँपना भी शामिल है जहां महिला को घर चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है
(4) शादी जैसा रिश्ता जिसमें यौन सम्बन्ध केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक अंतरंगता और बच्चों के लिए भी हैं, जो भावनात्मक सहारा और समर्थन का संकेत देता है।
(5) बच्चों को जनम देना, और उनके पालन-पोषण और समर्थन की सांझी जिम्मेदारी उठाना

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
घरेलू हिंसा केवल महिला के पति और/या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जा सकती है।	घरेलू हिंसा में न केवल पति और/या उसके परिवार द्वारा किया गया अत्याचार शामिल होता है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के अपने जन्म या गोद लेने वाले परिवार द्वारा किया गया अत्याचार भी शामिल है।

IV. घरेलू हिंसा की शिकायत के चरण

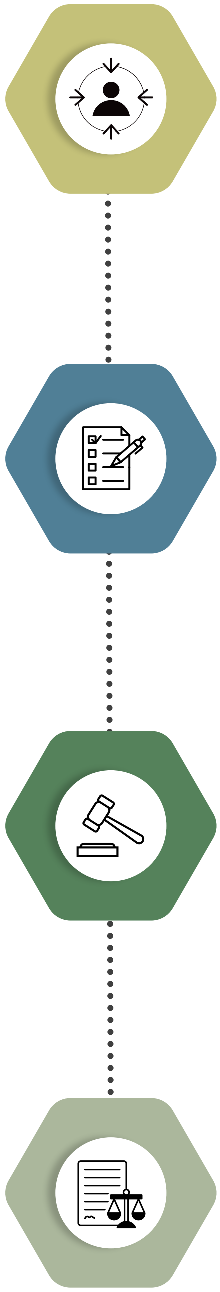

चरण 1
अधिकारियों से संपर्क करें और शिकायत करें

चरण 2
घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) तैयार करना और आवेदन प्रस्तुत करना

चरण 3
अदालत में प्रक्रिया

चरण 4
आदेश और राहत

चरण 1
अधिकारियों से संपर्क करें और शिकायत करें

PWDV अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति कई तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वह:

1. पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, या
2. किसी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से शिकायत कर सकते हैं, या
3. सीधे मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं

1. पुलिस स्टेशन: पीड़ित महिला अपने सबसे पास के पुलिस स्टेशन या किसी और पुलिस स्टेशन में जाकर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती है।

पुलिस अधिकारी की भूमिका:

(i) जब कोई पीड़ित व्यक्ति सहायता मांगता है, तो पुलिस अधिकारी को उसे PWDV अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए, जिसमें ये शामिल हैं:

- उपलब्ध राहतें
- सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं तक पहुँचना
- मुफ़्त कानूनी सहायता पाना
- मामले के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या आपराधिक शिकायत दर्ज करने का विकल्प

हेल्पलाइन नंबर और अधिकारियों के संपर्क विवरण

- **पुलिस सहायता -** – 100 and 112
- **महिलाओं के लिए हेल्पलाइन -** 1091
- **महिला हिंसा विरोधी हेल्पलाइन -** 181

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) helpline – 7827170170
complaintcell-ncw@nic.in
chairperson-ncw@nic.in
ncw@nic.in

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत आपराधिक कार्रवाई -

PWDV अधिनियम के तहत सिविल कार्रवाई करने के अलावा, एक महिला आपराधिक कार्रवाई का विकल्प भी चुन सकती है, खासकर अगर उसे गंभीर चोटें लगी हों। अगर वह पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत करती है, जो BNS के तहत अपराध का खुलासा करती है, तो पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने और कानून द्वारा निर्धारित जांच शुरू करने के लिए बाध्य है। पीड़ित व्यक्ति के पास PWDV अधिनियम या BNS या दोनों के तहत एक साथ शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

BNS की धारा 85 के तहत क्रूरता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना घरेलु हिंसा के मामलों में महिला को राहत प्रदान करता है। क्रूरता के खिलाफ शिकायत के बारे में ध्यान देने की कुछ ज़रूरी बातें :

- क्रूरता[9] को महिला के पति या उसके रिश्तेदारों के किसी भी आचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो महिला को आत्महत्या करने, खुद को गंभीर रूप से घायल करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक और शारीरिक दोनों) को खतरे में डालने के लिए मजबूर कर सकता है। इसमें दहेज की मांग जैसी संपत्ति या मूल्यवान संपत्तियों से संबंधित गैरकानूनी मांगों के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को परेशान करना भी शामिल है।
- अगर किसी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि क्रूरता का अपराध किया गया है, तो वे बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं।
- क्रूरता के लिए सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना है।
- यह सिर्फ महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपराधों के लिए है। दूसरी ओर, PWDV अधिनियम किसी भी घरेलू संबंध से संबंधित मामलों में राहत दिलवाता है, न सिर्फ़ वैवाहिक संबंध से।

[9] BNS की धारा 86 के तहत

पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता वाले अपराध

घरेलू हिंसा के कुछ मामलों में अलग से पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता वाले कुछ अपराध भी उभर सकते हैं , जैसे की:

1. **गंभीर चोट [10] : कोई भी चोट जो जीवन के लिए खतरा पैदा करती है, या कम से कम पन्दरह दिनों तक गंभीर दर्द का कारण बनती है, जिससे आम ज़िन्दगी में काफी बाधा आती है।**
2. **गलत तरीके से कारावास [11] : किसी व्यक्ति को इस प्रकार रोकना कि वह निश्चित सीमाओं से बाहर न जा सके।**
3. **बलात्कार[12] : गैरकानूनी यौन गतिविधि, जिसमें आमतौर पर यौन संबंध शामिल होते हैं, बल प्रयोग या बल की धमकी के माध्यम से पीड़ित की इच्छा केख़िलाफ़ , या कानूनी सहमति देने में असमर्थ व्यक्ति के साथ जैसे की नाबालिग स्थिति, मानसिक बीमारी, मानसिक कमी, नशा, बेहोशी या धोखे से ।**
4. **दहेज हत्या [13] : यदि किसी महिला की मृत्यु शादी के सात वर्षों के भीतर जलने, चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, और यह दिखाया जाए कि उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या ससुरालवालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया था, तो कानून यह स्वत: मान लेता है कि प्रताड़ना ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को प्रताड़ना और मृत्यु के बीच सीधे संबंध को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मृत्यु शादी के सात साल बाद होती है, तब भी उसे दहेज मृत्यु कहा जा सकता है, लेकिन प्रताड़ना और मृत्यु के बीच स्पष्ट संबंध अदालत में साबित करना ज़रूरी होता है।**

(ii) पुलिस अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति को DIR दर्ज करने के लिए सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के पास भेजना चाहिए।

(iii) यदि पीड़ित व्यक्ति किसी शारीरिक चोट की रिपोर्ट करता है, तो पुलिस अधिकारी को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और चिकित्सा जांच की व्यवस्था करनी चाहिए।

(iv) पुलिस अधिकारी को आपात स्थिति में सुरक्षा अधिकारी की सहायता करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए और न्यायालय के आदेशों को लागू करने में मदद करनी चाहिए।

घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR)

जब कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के पास पहुंचता है, तो उन्हें अपने साथ हुई दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। इस जानकारी का उपयोग DIR बनाने के लिए किया जाता है।

DIR एक औपचारिक रिपोर्ट है जिसे एक विशिष्ट तरीके से भरा जाता है जब कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करता है। इसका उद्देश्य दुर्व्यवहार की घटनाओं को स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से दर्ज करना है, और घटना का सारांश प्रदान करना है।

[10] BNS की धारा 116
[11] BNS की धारा 127
[12] BNS की धारा 63
[13] BNS की धारा 80

PWDV अधिनियम के तहत न्यायालय की परिभाषा

PWDV अधिनियम के उद्देश्य के लिए "न्यायालय" प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दोनों पक्षों में से कोई भी रहता है, या काम करता है, या जहां घरेलू हिंसा की गई है।

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर हमेशा अपराधी की गिरफ्तारी होती है।	जब तक कि सुरक्षा आदेश का उल्लंघन न किया जा रहा हो, केवल इस कानून के तहत की गई शिकायत के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी शोषण की गंभीरता और आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है या नहीं, इस पर निर्भर करती है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति आपराधिक शिकायत दर्ज करता है, तो अपराधी को BNS के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

(2) संरक्षण अधिकारी: घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सहायता और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वे आम तौर पर पीड़ित व्यक्ति के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं और सहायता प्रदान करने में उनकी ज़रूरी भूमिका होती है। वे कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श और सुरक्षित आश्रय की सुविधा के लिए जिम्मेदार होते हैं।

संरक्षण अधिकारियों की सूची

राज्य के संरक्षण अधिकारियों की सूची संबंधित राज्य महिला एवं बाल विभाग (WCD), राज्य समाज कल्याण बोर्ड की वेबसाइट के साथ-साथ हर पुलिस स्टेशन में उपलब्ध है।

संरक्षण अधिकारी की भूमिका

कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि घरेलू हिंसा की घटना हुई है, हो रही है या होने की संभावना है, वह अपने अधिकार क्षेत्र में संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे सकता है। यह जानकारी मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है।

संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों में शामिल हैं की:

- उन्हें लिखित रूप में प्राप्त जानकारी का दस्तावेजीकरण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जानकारी देने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करे। दर्ज की गई जानकारी की एक नि:शुल्क कॉपी तुरंत सूचना देने वाले को दी जानी चाहिए।
- घरेलू हिंसा की शिकायत का विवरण प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के लिए एक DIR तैयार करें। DIR की कॉपियां उस क्षेत्र के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए जहां घटना हुई थी, साथ ही अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सेवा प्रदाताओं को भी।
- पीड़ित व्यक्ति के साथ परामर्श कर एक 'सुरक्षा योजना' तैयार करें, जिसमें आगे होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय शामिल हों।

सुरक्षा योजना

सुरक्षा योजना PWDV नियमों में फॉर्म के रूप में दिया गया एक दस्तावेज है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपराधी द्वारा की गई हिंसा, इस हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति द्वारा भुगते गए परिणाम, भविष्य में संभावित हिंसा के बारे में पीड़ित व्यक्ति की आशंकाएं और न्यायालय से मांगे गए आदेशों के साथ सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपायों के बारे में विवरण शामिल है।

- सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 [14] के तहत निर्धारित मुफ्त कानूनी सहायता मिले।
- पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए क्षेत्र में मुफ्त कानूनी सहायता, परामर्श सेवाएं, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं देने वाले सभी सेवा प्रदाताओं का रिकॉर्ड रखें।
- मजिस्ट्रेट को कोई भी आवेदन करने में व्यक्ति की सहायता करें। यदि पीड़ित व्यक्ति नहीं पढ़ सकते, तो संरक्षण अधिकारी को आवेदन पढ़ना चाहिए और उसे समझाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति को उचित चिकित्सा देखभाल मिले यदि उसे चोटें आई हैं या वह किसी और तरह से प्रभावित है, और यदि वह आश्रय चाहती है तो उसे आश्रय भी मिले।
- मामले की कार्यवाही के दौरान न्यायालय की सहायता करें और सुनिश्चित करें कि आदेश लागू हो। इसमें शामिल हो सकते हैं:

(क) साझे घर जाना और ज़रुरत हो तो प्रारंभिक जांच शुरू करना
(ख) जांच करने के बाद, न्यायालय द्वारा निर्देशित संपत्ति, बैंक खातों या किसी अन्य दस्तावेज पर रिपोर्ट दाखिल करना
(ग) पीड़ित व्यक्ति को उपहार और ज़ेवर सहित व्यक्तिगत प्रभावों का कब्ज़ा वापस दिलाना
(घ) पीड़ित व्यक्ति को बच्चों की कस्टडी वापस पाने और न्यायालय की निगरानी में मुलाकात के अधिकार सुरक्षित करने में सहायता करना
(ङ) कार्यवाही के दौरान आदेशों को लागू करने में न्यायालय की सहायता करना
(च) यदि आवश्यक हो तो कथित घरेलू हिंसा में शामिल किसी भी हथियार को जब्त करने के लिए पुलिस सहायता मांगना

- पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों को हर संभव सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घटना की रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप उन्हें उत्पीड़न या दबाव का सामना न करना पड़े। इसमें उन्हें आगे किसी भी तरह की हिंसा से बचाना शामिल है।
- PWDV अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान किए गए तरीके से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों, पुलिस और सेवा प्रदाताओं के बीच संपर्क स्थापित करना।

मुफ्त सहायता का अधिकार

पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा अधिकारी/पुलिस/सेवा प्रदाता को पैसे देने की ज़रुरत नहीं है। सहायता करना उनका कर्तव्य है।

(3) सेवा प्रदाता और गैर-सरकारी संगठन: कोई भी स्वैच्छिक समूह और/या एनजीओ जो महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानूनी, चिकित्सीय, आर्थिक या अन्य वैध सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, वह राज्य सरकार के साथ सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो, तो वह किसी पंजीकृत सेवा प्रदाता या उपयुक्त एनजीओ से संपर्क कर सकते है, जो उसे सेवा प्रदाता या सुरक्षा अधिकारी से जोड़ सकता है।

[14] PWDV अधिनियम की धारा 9

सेवा प्रदाता की भूमिका:

घरेलू हिंसा के मामलों में, सेवा प्रदाताओं की कुछ जिम्मेदारियाँ सुरक्षा अधिकारियों के समान होती हैं। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- DIR दर्ज करना
- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को ज़रुरत होने पर आश्रय गृह में रखा जाए, और विवरण के साथ पुलिस स्टेशन/मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- पीड़ित व्यक्ति के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व, परामर्श और/या चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित करना और इन रिपोर्टों की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारियों को भेजना
- कुछ सेवा प्रदाता/NGOs पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास सहायता भी प्रदान करते हैं, जैसे कि किसी शैक्षणिक संस्थान में उनका नामांकन कराना, उन्हें कौशल विकास के अवसर देना और भावनात्मक और आघात प्रबंधन में उनकी सहायता करना

आपातकालीन स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाई

यदि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को पीड़ित व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति से फोन कॉल या ई-मेल जैसे माध्यमों से विश्वसनीय जानकारी मिलती है, जिसके पास यह मानने का कारण है कि घरेलू हिंसा की घटना हो रही है या होने की संभावना है, तो उन्हें तुरंत पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को उनके साथ घटनास्थल पर जाना चाहिए, घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और बिना किसी देरी के उचित आदेश प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना चाहिए।

महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त स्रोत:

वन-स्टॉप सेंटर (OSCs): भारत सरकार 'वन स्टॉप सेंटर (OSC)' योजना, जिसे 'सखी' योजना भी कहा जाता है, चलाती है ताकि हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की मदद की जा सके। ये केंद्र उन महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं जो घर, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल या समाज में कहीं भी हिंसा का शिकार होती हैं। यह योजना 'मिशन शक्ति' [15] नामक एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है, जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयासों को एकजुट करता है।

OSCs की सूची

35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 704 से अधिक OSCs चालू हैं। यह सूची महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

OSCs इन सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करते हैं:

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएँ: OSCs हिंसा से प्रभावित महिलाओं को बचाव और रेफरल सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे आपातकालीन चिकित्सा सहायता या पुलिस हेल्पलाइन जैसे स्थापित तंत्रों से जुड़े हुए हैं। ये महिलाओं को उस स्थान से बचाने और उन्हें नज़दीकी चिकित्सा सुविधा या आश्रय गृह में भेजने में मदद करते हैं। OSCs महिलाओं को FIR दर्ज करने या DIR के लिए जानकारी प्रदान करने में भी सहायता कर सकते हैं।

[15] https://missionshakti.wcd.gov.in/

- चिकित्सा सहायता और मानसिक-सामाजिक सहायता या परामर्श: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित, दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, OSC द्वारा चिकित्सा सहायता/जांच के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा जाता है।
- कानूनी सहायता और परामर्श: हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, OSC में पैनल में शामिल वकीलों या राष्ट्रीय/राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाता है।

परामर्श (काउंसलिंग)

परामर्श एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति परामर्श में प्रशिक्षित पेशेवर से जुड़ते हैं, ताकि वे अपनी चुनौतियों, दुर्व्यवहार और समस्याओं पर चर्चा कर सकें। ऐसे सेशन में साझा की गई जानकारी गोपनीय होती है और किसी भी पूर्वाग्रह के बिना होती है। परामर्श का उद्देश्य महिलाओं को उनके विकल्पों को समझने, अपनी एजेंसी का उपयोग करने और स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय और कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है।

- **आश्रय सुविधाएँ:** OSCs पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों, जिनमें सभी उम्र की लड़कियाँ और 12 वर्ष तक की आयु के लड़के शामिल हैं, को ज़्यादा से ज़्यादा पाँच दिनों के लिए अस्थायी आश्रय दे सकते हैं। लम्बे समय की आश्रय आवश्यकताओं के लिए, सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित या उनसे सम्बंधित स्वाधार गृह/अल्पकालिक गृहों की व्यवस्था की जाती है। एक पीड़ित महिला को अस्थायी आश्रय देने की सहमति केंद्र प्रशासक की मर्ज़ी होगी।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा:** पुलिस और अदालत की कार्यवाहियों को सरल बनाने के लिए, वन स्टॉप सेंटर (OSC) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (जैसे Skype या Google Conferencing) प्रदान कर सकता है। इस सुविधा के माध्यम से, यदि पीड़ित महिला चाहें, तो वह OSC से ही पुलिस या अदालत के लिए अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। यह सेवा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बीच परामर्श के बाद शुरू की जा सकती है। [16]

[16] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर योजना: कार्यान्वयन और दिशानिर्देश - https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf

शिकायत करने की समय सीमा

घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। हालांकि, पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि घटना के समय वह आरोपित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में थी। यदि घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने में देरी होती है, तो उसे इस देरी का कारण बताना पड़ सकता है, और यह उसके मुकदमे के दौरान उसके मामले को प्रभावित कर सकता है।

4. मजिस्ट्रेट

पीड़ित व्यक्ति को अदालत का सीधा रुख करने और संरक्षण, आर्थिक राहत, अभिरक्षा, निवास, और मुआवजे जैसी विभिन्न राहतों के लिए आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह पीड़ित व्यक्ति को उसके अधिकारों की पूरी जानकारी दे और PWDV अधिनियम के तहत उपयुक्त आदेश जारी करे। इसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति को सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार, तथा भारतीय दंड संहिता (BNS) के तहत क्रूरता की शिकायत दर्ज करने के विकल्पों के बारे में भी सूचित करना चाहिए।
मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार (local limits) के अंतर्गत घरेलू हिंसा के मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं जहाँ:
(i) पीड़ित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करती है, व्यवसाय करती है या कार्यरत है; या
(ii) उत्तरदायी व्यक्ति निवास करता है, व्यवसाय करता है या कार्यरत है; या
(iii) घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई हो।[17]

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा, आर्थिक राहत, अभिरक्षा, निवास और मुआवजे जैसे आदेशों की मांग करने के उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति को सेवा प्रदाताओं और संरक्षण अधिकारियों, मुफ्त कानूनी सेवा पाने के उसके अधिकार और BNS के तहत क्रूरता की शिकायत दर्ज करने के विकल्प के बारे में सूचित करना चाहिए।

चरण 2
DIR की तैयारी और आवेदन प्रस्तुत करना

DIR की तैयारी:

(i) DIR एक औपचारिक रिपोर्ट है, जिसे तब तैयार किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करता है। संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता इसे एक निर्धारित प्रारूप में भरते हैं। इसका उद्देश्य दुर्व्यवहार की घटनाओं को स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ के रूप में सुरक्षित करना है।

(ii) PWDV नियम DIR के लिए एक विस्तृत फॉर्म प्रदान करते हैं। प्रारूप में यह सारे विवरण होने चाहिए :

- शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी और संपर्क विवरण
- अपराधियों का विवरण
- पीड़ित व्यक्ति के बच्चों का विवरण, अगर हैं तो
- यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हिंसा की घटनाओं का विवरण

[17] https://www.scconline.com/blog/post/2020/07/27/law-on-domestic-violence-protection-of-women-from-domestic-violence-act-2005/

- दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न
- शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण
- पीड़ित द्वारा आवश्यक प्रार्थना या सहायता।

(iii) DIR को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षण अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए, जिन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। ये दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं और भविष्य में पीड़ित व्यक्ति द्वारा राहत के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवश्यक हो सकते हैं।

दस्तावेज जो DIR के साथ शामिल किए जा सकते हैं:

- **मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (MLC): अगर पुलिस के समक्ष कोई शिकायत की जाती है, तो डॉक्टर द्वारा जारी किया गया यह सर्टिफिकेट घरेलू हिंसा से होने वाली चोटों का विवरण करता है**
- **डॉक्टर का सर्टिफिकेट या मानसिक स्वास्थ्य दस्तावेज: मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से प्राप्त ये दस्तावेज पीड़ित व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विवरण देते हैं**
- **स्त्रीधन की सूची: इसमें शादी के दौरान या बाद में महिला को दी गई संपत्ति शामिल है, जैसे परिवार और दोस्तों से मिले उपहार**
- **अन्य दस्तावेज: घरेलू हिंसा की पहले की रिपोर्टें और अन्य प्राधिकरणों (जैसे कि आरोपी के नियोक्ता या स्थानीय निकाय) को की गई शिकायतें जो घरेलू हिंसा से संबंधित हों।**

हालाँकि इन दस्तावेजों को संभालकर रखना बेहतर होता है, लेकिन DIR दर्ज कराने के लिए इनकी अनिवार्यता नहीं है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अपना घर छोड़ने की योजना बना रहा है या उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसके पास अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखना लाभदायक हो सकता है। ऐसे आवश्यक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना उचित होगा, जहाँ आपातकालीन स्थिति में उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। इस प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस, सेवा प्रदाता, या किसी NGO की सहायता भी ली जा सकती है।

आवेदन प्रस्तुत करना:

- पीड़ित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक राहतें मांगी जा सकती हैं। इनमें संरक्षण आदेश, आर्थिक सहायता, बच्चे/बच्चों की अभिरक्षा, निवास या मुआवजा आदेश शामिल हो सकता है। PWDV नियमों में ऐसे आवेदनों के लिए एक विस्तृत प्रारूप दिया गया है।
- संरक्षण अधिकारी/सेवा प्रदाता द्वारा तैयार की गई DIR को आवेदन या शिकायत के साथ संलग्न कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब कोई पीड़ित व्यक्ति खुद या किसी वकील की सहायता से आवेदन करता है, न कि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से, तो मजिस्ट्रेट को DIR प्रस्तुत करने की कोई ज़रुरत नहीं है। उस स्थिति में, मजिस्ट्रेट DIR तैयार करने के लिए खुद कह सकते हैं ।

मामले का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

DIR या पुलिस द्वारा शिकायत के समय दिए गए दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज वकील को दिए जा सकते हैं जो PWDV के तहत राहत के दावों का समर्थन कर सकते हैं:

(i) घरेलू संबंध, खास तौर पर वैवाहिक संबंध साबित करने के लिए:

राशन कार्ड
पासपोर्ट
मंगल सूत्र के साथ फोटो
शादी के निमंत्रण कार्ड
विवाह हॉल के बिल
शादी की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्डिंग
विवाह संपन्न कराने वाले मंदिर या पुजारी का प्रमाण पत्र

(ii) कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रमाणित करना: संयुक्त बैंक खाते, वेतन विवरण, किराए की रसीदें, बिल, और अन्य वित्तीय दस्तावेज आवश्यक हैं। इनमें प्रतिवादी की वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, बैंक संबंधी दस्तावेज, शेयर या बॉन्ड प्रमाणपत्र, महत्वपूर्ण खरीद की रसीदें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बच्चों की ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों से संबंधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं कर सकती।	एक तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला भी PWDV अधिनियम के तहत राहत प्राप्त कर सकती है, यदि घरेलू हिंसा की घटना उस समय हुई हो जब दोनों पक्ष घरेलू संबंध में थे और एक साथ साझा घर में रह रहे थे।

चरण 3
न्यायालय में प्रक्रिया

अदालत को प्रत्येक आवेदन को उसकी पहली सुनवाई की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि, वास्तव में ऐसे मामलों को निपटाने में आमतौर पर कुछ महीने लग जाते हैं।

आवेदन प्रस्तुत किया गया

↓

पहली सुनवाई
आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर

↓

नोटिस जारी करना
अदालत आरोपी को स्वयं उपस्थित होने का आदेश देगी, और संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस को दो दिनों के भीतर आरोपी तक पहुंचाए

↓

सबूत की रिकॉर्डिंग
जब दोनों पक्ष अदालत के समक्ष पेश होते हैं, तो अदालत सबूत रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगी

↓

पक्षों और गवाहों को बुलाना
अदालत पक्षकारों या उनके गवाहों को जिरह (परीक्षण और प्रतिपरीक्षण) के लिए समन भेजेगी

↓

लिखित जवाब
अपराधी को आवेदन पर लिखित जवाब देने के लिए समय दिया जाता है

↓

तर्क और आदेश
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और सबूतों के आधार पर, अदालत द्वारा लिखित आदेश दिए जाते हैं

अदालत द्वारा निर्देशित परामर्श / काउंसलिंग

अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में, अपराधी या पीड़ित व्यक्ति को, अकेले या साथ में, किसी सेवा प्रदाता/NGO के किसी भी सदस्य के साथ परामर्श लेने का निर्देश दे सकती है, जिसके पास ऐसी योग्यता और अनुभव है। ऐसे मामलों में, सुनवाई की अगली तारीख अदालत द्वारा दो महीने से अधिक की अवधि के भीतर तय की जाएगी [18]

[18] PWDV अधिनियम की धारा 14

चरण 4
आदेश और राहत

अंतरिम राहत

यदि अदालत प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपराधी ने घरेलू हिंसा की है, कर रहा है, या भविष्य में करने की संभावना है, तो वह निवास आदेश, सुरक्षा आदेश, आर्थिक राहत, चिकित्सा खर्च, और/या बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित अंतरिम राहत आदेश पारित कर सकती है। ऐसे आदेश अपराधी की अनुपस्थिति में भी जारी किए जा सकते हैं।

सभी सबूत दर्ज किए जाने के बाद, अदालत अंतिम आदेश देती है। PWDV अधिनियम के तहत अदालत द्वारा दिया गया आदेश भारत के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को पांच प्रकार की राहतें उपलब्ध हैं, जिनके लिए न्यायालय नीचे दिए गए आदेश दे सकता है:

(1) संरक्षण आदेश [19]

संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी पर प्रतिबंध लगाकर जारी किए जाते हैं, ताकि उन व्यक्तियों को मदद दी जा सके जिनके साथ घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है।

सुरक्षा आदेश अपराधी को निम्न से रोक सकता है:

- घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करना
- दूसरों को घरेलू हिंसा करने में मदद करना
- कार्यस्थल, स्कूल या किसी अन्य स्थान पर जाना, जहाँ पीड़ित व्यक्ति नियमित रूप से जाता हो
- पीड़ित व्यक्ति से किसी भी तरह से संपर्क करना, जैसे व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में, ऑनलाइन या फ़ोन द्वारा
- साझा संपत्ति, बैंक खाते, बैंक लॉकर या पीड़ित व्यक्ति के स्त्रीधन को बिना अनुमति के बेचना या स्थानांतरित करना
- घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति पर आश्रित या रिश्तेदारों को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना
- सुरक्षा आदेश में उल्लेखित कोई अन्य कार्य करना

उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी

संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें आरोपी को एक वर्ष तक की कैद, या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

[19] PWDV अधिनियम की धारा 18

(2) निवास आदेश [20]

निवास आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त हो सके। इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हो सकती हैं:

- आरोपी को पीड़ित व्यक्ति को साझा आवास में रहने से रोकने से प्रतिबंधित करना (चाहे वह आवास आरोपी के परिवार के साथ साझा किया गया हो या किराए का मकान हो);
- यदि पीड़ित व्यक्ति साझा आवास छोड़ने का निर्णय लेती है, तो आरोपी को उसके लिए किराए का भुगतान करने या समकक्ष वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निर्देश देना;
- अपराधी और उसके रिश्तेदारों को उस हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जहाँ पीड़ित व्यक्ति रहता है;
- अपराधी को साझा घर बेचने या गिरवी रखने से रोकना;
- मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आरोपी को किसी भी संपत्ति पर अपने अधिकार त्यागने से रोकना;
- अपराधी को पीड़ित व्यक्ति को समान वैकल्पिक आवास प्रदान करने या उसकी ओर से किराया देने का निर्देश देना;

मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सुरक्षा शर्तें भी लगा सकता है, जैसे सुरक्षा के लिए पुलिस को शामिल करना, पक्षों के संसाधनों के आधार पर वित्तीय दायित्व लगाना और पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति वापस करने का आदेश देना।

(3) आर्थिक राहत [21]

घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों द्वारा उठाए गए खर्चों और क्षतिपूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आर्थिक आदेश जारी किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर अपराधी को एकमुश्त भुगतान या मासिक भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

आर्थिक राहत आदेश में यह शामिल हो सकते हैं:

- घरेलू हिंसा के कारण हुई आय का नुकसान
- घरेलू हिंसा के कारण हुई चिकित्सा पर खर्च
- पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति का नुक्सान या हानि
- पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए भरण-पोषण, यदि कोई हो। यह अन्य कानूनों के तहत दिए गए भरण-पोषण के अतिरिक्त या उससे अलग हो सकता है और यह निष्पक्ष, उचित और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप होना चाहिए।

साझे घर में रहने का अधिकार

पीड़ित व्यक्ति को साझे घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसके पास संपत्ति में कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो या न हो। उसे साझे घर या उसके किसी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा।

आर्थिक राहत आदेश लागू करना

(i)मजिस्ट्रेट को आवेदन में शामिल पक्षों और जहाँ अपराधी रहता है, वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन को आर्थिक राहत आदेश की एक कॉपी भेजनी चाहिए।
(ii) अपराधी को आदेश में दी गई अवधि के भीतर आर्थिक राहत का भुगतान करना ज़रूरी है। अगर अपराधी आदेश के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट अपराधी के नियोक्ता या देनदार को अपराधी के वेतन या ऋण का एक हिस्सा रोकने का निर्देश दे सकते हैं। अपराधी इसे या तो सीधे पीड़ित व्यक्ति को दे सकता है या इसे अदालत में जमा कर सकता है। इस राशि का उपयोग अपराधी द्वारा देय आर्थिक राहत की पूर्ती करने के लिए किया जाएगा।

[20] PWDV अधिनियम की धारा 19
[21] PWDV अधिनियम की धारा 20

(4) अभिरक्षा आदेश:[22]

इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश या किसी और राहत के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे/बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट अपराधी को बच्चे/बच्चों से मिलने की अनुमति भी दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराधी के मिलने से बच्चे/बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी मुलाकातों से इनकार किया जा सकता है।

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों की खातिर दुर्व्यवहार को सहन करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। अगर वे घरेलू हिंसा की शिकायत करते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया जाएगा।	माता या पिता को हानि पहुँचाए जाने का साक्षी बनना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति आश्रय गृहों और सेवा प्रदाताओं की सेवाएँ ले सकतें हैं ताकि वह अपने बच्चों के साथ रह सके। परिस्थिति के आधार पर, अदालत माँ को बच्चे की अस्थायी हिरासत दे सकती है।

(5) मुआवज़ा आदेश: [23]

मजिस्ट्रेट, पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, आदेश जारी कर सकते हैं, जिसमें अपराधी को मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह मुआवजा उन चोटों को कवर करने के लिए होता है, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक आघात शामिल हैं, जो घरेलू हिंसा के कारण उत्पन्न हुई हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-16 के अनुसार, केवल 14% महिलाएं जिन्होंने शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया, मदद मांगने के लिए आगे आईं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा दर्शाता है कि इस दिशा में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। हमें आशा है कि यह मार्गदर्शिका लोगों को हिंसा को पहचानने, पीड़ितों का साथ देने और ऐसे सुरक्षित व न्यायसंगत समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करेगी, जहां पीड़ितों की बात सुनी जाए, उन पर विश्वास किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए।

[22] PWDV अधिनियम की धारा 21
[23] PWDV अधिनियम की धारा 22

iProbono INDIA

iProbono India एक सामाजिक न्याय संगठन है जिसका उद्देश्य एक न्यायप्रिय समाज की स्थापना, एवं लोगों को उनके अधिकार प्राप्ति के लिए सक्षम बनाना है। हमारी संस्था का जनम इस मान्यता से हुआ था कि कानूनी पेशेवरों का यह दायित्व है कि वे अपने कौशल का इस्तेमाल करके उन व्यक्तियों और समुदायों को सेवा और सशक्ति दें जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है।

हमारे पैनल के वकीलों के माध्यम से हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में संवेदनशील वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हम वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व, पुनर्वास सम्बन्धी समग्र सहायता, नीतियों का शोध, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को कानूनी सलाह और सहायता, एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।